order Sheet [Contd]

प्रक्त 112/2014 किस्

te of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of Parties or Pleaders where necessa

१८-11-16 परिवादी विद्युत विभाग द्वारा कार्यापालन यंत्री की ओर से सहायक -यंत्री/किनेष्ठ यंत्री भी सहित उनके अधिवक्ता श्री १००५ ० व्यापन व उप0।

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधि० श्री जीनका ५ उप० / आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवदता सहित एक आवेदन पेश कर विदन किया कि इस मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा दिद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल/मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

71944 50-1

डी०सी०थपितयाल पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क०—१९ एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम

स्१६५ कु - 2 महिद जिला भिष्ट

Emound

J. Eman